न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 24/2018

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
वासुराम पुत्र श्री वरींगाराम जाति		राजस्थान सरकार
बिश्नोई निवासी भूणिया तहसील		जरिये जिला रसद अधिकारी,
सेड़वा जिला बाड़मेर		बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.09.2017 जो विभागीय प्रकरण सं. 59/2017 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री दिनेश बिश्नोई एवं श्री छैलसिंह, अधिवक्तागण अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 09/07/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 59/2018 सरकार बनाम वासुराम मे पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट वासूराम/वरींगाराम, उचित मूल्य दुकानदार भूणिया द्वितीय का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा की गई जांच मे ग्रामवासियान फगलू का तला द्वारा की गई शिकायत अनुसार अपीलार्थी द्वारा राशन सामग्री वितरण मे

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अनिनियमितताऐं पाई जाने की रिपोर्ट पर पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर विभागीय प्रकरण दर्ज किया एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा उस पर आरोपित आरोपों का जवाब प्रस्तुत नही किया, जिससे शिकायत को साबित मानते हुए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 14 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि रूपये 1000 जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2017 जारी किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 02.05.2018 को प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4 हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलांट के नाम ग्राम भूणिया द्वितीय हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण पोश मशीन द्वारा किया गया है जिससे हेराफेरी होने की कोई सम्भावना नही है। अपीलांट के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री भगवानाराम द्वारा पुलिस थाना मे प्रकरण सीआर न. 227 दिनांक 06.09.2017 अपराध धारा 420, 409, 467, 468, 471 भादसं के तहत दर्ज करवाया गया था, जिस पर बाद अनुसंधान अंतिम रिपोर्ट दिनांक 07.01.2018 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा उचित मूल्य दुकान मे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की गई है फिर भी तकनीकी त्रुटियों को आधार बनाकर प्राधिकार पत्र

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निरस्त करना न्यायोचित नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया था जिसकी अपीलांट को जानकारी होने पर अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे उल्लेखित आधार पर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. इसके जवाब मे रेस्पोडेंट के पैरोकार का यह तर्क है कि अपीलांट के प्राधिकार के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान पर राशन सामग्री वितरण मे अनियमितताओं को लेकर ग्राम वासियान फगलु का तला द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी। इस शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा की गई, जिसमे पाया गया कि खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध नही कराया जा रहा है। इस पर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। अपीलांट द्वारा की गई अनियमितताओं का उसके पास कोई संतुष्टिपरक जवाब नही था इसलिए जानबूझकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत एवं जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधि या तथ्यात्मक भूल नही की है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट वासूराम/वरींगाराम, उचित मूल्य दुकानदार भूणिया द्वितीय को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री के वितरण मे अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा जांच की गई। जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता एवं अन्य गवाहान के बयान लिये जाकर राशन सामग्री का अनियमित वितरण पाये जाने पर रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो उपस्थित हुए एवं न ही अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच मे गवाहान के सामूहिक बयानों एवं भौतिक सत्यापन मे अपीलार्थी के विरूद्ध अनियमितताऐं पाई गई। इस प्रकार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत अपीलार्थी को जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसका अपीलार्थी द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष कोई ठोस तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत किया है। इस आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2017 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner